न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 28/2014 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

पप्पू सिंह पुत्र बद्री सिंह कौम ठाकुर निवासी ग्राम नबलू का पुरा ग्राम पंचायत सलेमपुर तहसील बसेडी।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह
2. राजकुमार
3. राजेन्द्र सिंह

} पिसरान बद्री सिंह अकवाम ठाकुरान निवासीगण नबलू का पुरा तहसील बसेडी।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 28.02.14 मि.नं. 53/2013 उनवानी पप्पू सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट।
2. श्री हरवीर सिंह वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–16.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सलेमपुर तहसील बसेडी में पन्ना देवी पत्नि स्व0 बद्री सिंह 1/2 भाग तथा राजेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह, पप्पू सिंह, राजकुमार पुत्रगण बद्री सिंह 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। पानादेवी पत्नि बद्री सिंह का देहान्त हो चुका है। अतः पाना देवी के कायम मुकाम उसके पुत्रगणों को मृतक माता पाना देवी का सम्पूर्ण तर्का विरासतन प्राप्त किया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक दाखिला खारिज नहीं खुला है एवं ना ही विवादित आराजी का विभाजन हुआ है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी में अच्छी–अच्छी जगह पर कब्जा कर विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवय व मुंतकिल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर पृथक से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाता कायम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 सभी आपस में खास मॉ जाऐ भाई हें। अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 की मॉ पन्ना देवी थी, जिसका निधन हो गया। अतः विवादित आराजी में उसका हिस्सा अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 पर प्रकान्त हुआ और अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 व हिस्सा बराबर यानी प्रत्येक 1/4–1/4 भाग के हिस्सेदार एवं सहखातेदार काश्तकार हुए। उक्त तथ्य प्रकरण में निर्विवाद था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पन्ना देवी का निधन होना साबित ना मानकर दावा अपीलाण्ट/वादी खारिज करने में कानूनी भूल की है। पन्ना देवी का स्वर्गवास दावा दायरी से पूर्व होना अपीलाण्ट की मौखिक साक्ष्य के द्वारा बखूबी साबित था एवं रैस्पो0 की ओर से भी पन्ना देवी के स्वर्गवास बाबत् कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें, तथा दावा अपीलाण्ट/वादी डिक्री किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबाबी बहस में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कि अपने विशेष कथन में विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाना स्वीकार किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/वादी का दावा, इस निष्कर्ष पर खारिज किया है कि अपीलाण्ट /वादी द्वारा पन्ना देवी के देहान्त को सिद्ध नहीं किया एवं ना ही मृत्यु बाबत् कोई दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र आदि ही पेश किये हैं। हम पाते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ, यह पन्ना देवी की मृत्यु को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0 सशपथ पन्ना देवी की मृत्यु होना बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को, पन्ना देवी को मृत मानते हुए, गुणावगुण पर दावा निस्तारण करना चाहिए था। ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने चूक की है। लिहाजा हम अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 116, 124, 127, 200, 201 स्थित ग्राम नवलू का पुरा तहसील बसेडी पर मृतक पन्ना देवी की बजाय उसके वारिसान् अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण 01 लगायत 3, प्रत्येक को 1/4–1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार बसेडी को 1000/– रूपये, अक्षरे एक हजार रूपये, कोस्ट पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तलब करते हुए, अधीकतम एक माह में अन्तिम डिक्री पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official